तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 100/2018 अनवान गणपतलाल बनाम रामेश्वर	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

21.01.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम माडपुरा सानी के खसरा संख्या 305 गैर मुमकिन आबादी भूमि हेतु रास्ते की मांग की है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की उपधारा 1 के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा आबादी भूमि हेतु रास्ते की मांग की गई है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की उपधारा 1 के अन्तर्गत कृषि जोतों हेतु रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये है। उक्त प्रावधान आबादी भूमि पर लागू नही होते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी आबादी भूमि में रास्ता प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner